

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर 2019-भाद्र 27, शक 1941

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2019

क्रमांक 571-1450-2018-61-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16:: मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 अन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है अर्थात्:-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं**

सेवा क्रमांक	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई निश्चित की समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
16.9	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ग्रामीण क्षेत्र) अंतर्गत भुगतान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी
16.10	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (ग्रामीण क्षेत्र) अंतर्गत भुगतान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी
16.11	नल जल योजना अंतर्गत नल कनेक्शन में नाम परिवर्तन (ग्रामीण क्षेत्र)	सचिव, ग्राम पंचायत	07 कार्य दिवस	खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

16.12	नल जल योजना अंतर्गत नल कनेक्शन बंद कराना (ग्रामीण क्षेत्र)	सचिव, ग्राम पंचायत	07 कार्य दिवस	खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
16.13	अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रदाय किया जाना परिवर्तन (ग्रामीण क्षेत्र)	सचिव, ग्राम पंचायत	07 कार्य दिवस	खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव.